कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

क्रमांक/निर्वाचन/2018/ 4691/ अलीराजपुर दिनांक 25.11.2018

:: आदेश ::

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

विधान सभा निर्वाचन-2018 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा चुकी है । अलीराजपुर जिले की 02 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 28.11.2018 को विधान सभा चुनाव हेतु मतदान प्रक्रिया सम्पादित कराई जाना है । विभिन्न माध्यमों एवं आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में मतदाता परिचय-पत्र का उपयोग स्वयं मतदाता द्वारा किये जाने को आवश्यक करने तथा अन्य के द्वारा दुरूपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है । अतः प्राप्त जानकारियों के आधार पर मुझे इस बात का समाधान हो गया है कि अलीराजपुर जिले में विधान सभा निर्वाचन-2018 के दौरान सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को प्रदूषित होने से बचाने के लिए व स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराये जाने की दृष्टि से यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मतदाता परिचय-पत्र किसी अन्य एवं अप्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में नहीं रहे।

अतः मैं, **गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला अलीराजपुर** निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलीराजपुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में दिनांक 26.11.2018 की सायंकाल 5.00 बजे से दिनांक 28.11.2018 को मतदान समाप्ति तक निम्नलिखित प्रतिबंध लगाता हूँ :-

1. यह कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मतदाता परिचय-पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का मतदाता परिचय-पत्र न तो अपने पास रखेगा तथा न ही किसी स्थान पर इकट्ठा रखेगा ।

उपर्युक्त प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे ।

चूँकि यह आदेश जन साधारण पर लागू है तथा परिस्थितिवंश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य पर उक्त सूचना की तामिली की जा सके । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

Scanned by CamScanner

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जावेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 25.11.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(गणेश शंकर मिश्रा)
जिला दण्डाधिकारी
जिला अलीराजपुर(म.प्र.)

पृ.क्रमांक/निर्वाचन/2018/ 4692 अलीराजपुर दिनांक 25.11.2018

प्रतिलिपि:-

1-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. निर्वाचन सदन 17 अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2-प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग (पुलिस)/सामान्य प्रशासन मंत्रालय भोपाल ।
3-आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर ।
4-पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर रेंज इन्दौर ।
5-पुलिस अधीक्षक जिला अलीराजपुर ।
6-उप जिला निर्वाचन अधिकारी (भारत निर्वाचन)अलीराजपुर
7-अनुविभागीय दण्डाधिकारी अलीराजपुर/जोबट/चंद्रशेखर आजाद नगर/सोण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8-अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अलीराजपुर/जोबट ।
9-प्र.सहायक संचालक जन सम्पर्क जिला अलीराजपुर ।
10-प्रभारी अधिकारी एनआईसी जिला अलीराजपुर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
11-थाना प्रभारी पुलिस थाना जिला अलीराजपुर ।

जिला दण्डाधिकारी
जिला अलीराजपुर(म.प्र.)

Scanned by CamScanner